(d) It is proposed to introduce it progressively after successful field trial.

Laying of New Track in South Central Railways

2181. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some new track laying work in South Central Railways is pending for over 10 years after commencement;

(b) the details of all track laying proposals where is under way presently;

(c) the approximate date of completion of each such work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALIKARJUN): (a) There is only one such work of Track Renewal. It is being done with Second hand materials in Trimulgherry Military Siding. Renewal in 4.78 km. length out of 11.33 km. has been completed and the balance work is in progress. The work has been delayed for want of adequate funds not having been deposited by Military authorities towards their share of cost.

(b) There are 56 old works and 26 New Works of 1995-96 where work is under way presently, the details of which are given below:

Year	No. of works
1979-80	1
1989-90	2
1990-91	2
1991-92	3
1992-93	6
1993-94	18
1994-95	24
1995-96	26
	82

(c) 25 works out of the above are planned to be completed in 1995-96 and balance are proposed to be completed progressively by 1998-99, subject to availability of funds and materials.

बिहार को एल० पी० जी०/पेट्रोल/डीजल की एजेन्सियों का आबंटन

2182. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में आबंटित की गई एल०पी०जी० और पेट्रोल/डीजल की एजेन्सियों के नाम और पते क्या-क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्री के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत आबंटित की गई एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत एजेन्सियों का आवंटन करते समय किन-किन बातों पर विचार किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) मार्च, 1995 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 135 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 40 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया गया था। इनमें से 3 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिपों और 10 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन अनुकंपा आधार पर विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत किया गया।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित और 1.4.1995 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तियों को अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का विवेकाधीन आबंटन करने के लिए सरकार हेतु मार्गदर्शी घटक निम्नानुसार होंगे;

(i) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परन्तु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(ii) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(iv) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कर्मी/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के समय स्थायीरूप से अपंग हो गए हों।

(v) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात विधवा, अभिभावक, संतान।